

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या- / 2016/XXVII(9)/मनोरंजन-59/2008 टी0सी0

देहरादून: दिनांक 22-दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतएव अब, राज्यमाल, आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 11 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01 सन् 1904) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्य के केबिल टी0वी0/डी0टी0एच0 युक्त होटलों को अधिसूचना जारी होने की तिथि से मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या-237 (1)/2016/XXVII(9)/ मनोरंजन-59/2008 टी0सी0, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी/प्रभारी मनोरंजन कर निरीक्षक, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रुडकी को हिन्दी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे आसाधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग-9 को उपलब्ध करा दें।
5. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0डी0 बलवाल)
अनु सचिव।